पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1121

दिनांक-05.07.2026

अपराध शाखा / थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ

- **एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभावी कार्रवाई: एक वर्ष पुराने गुमशुदगी के प्रकरण का सफल अनावरण, वर्ष 2026 में 10वीं सकुशल बरामदगी।**
- **लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की प्रभावी कार्रवाई गुमशुदा नाबालिग बालिका सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार।**

कार्यवाही

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने थाना मदेयगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 63/2025, धारा 137(2)/87 बीएनएस में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए 16 वर्षीय गुमशुदा नाबालिग बालिका को जनपद सीतापुर से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में प्रकाश में आए आरोपी सलमान पुत्र हरीशन, निवासी बसंतपुर, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का विवरण

दिनांक 18 अप्रैल 2025 को थाना मदेयगंज पर नाबालिग बालिका की गुमशुदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता एवं नाबालिग बालिका की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार विवेचना को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को स्थानांतरित किया गया, जिससे विशेषीकृत एवं समन्वित अन्वेषण सुनिश्चित किया जा सके।

विवेचना अपने हाथ में लेने के उपरांत AHTU टीम द्वारा मामले का पुनः विश्लेषण करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट्स, तकनीकी साक्ष्यों, मानव खुफिया तंत्र (Human Intelligence), मुखबिर तंत्र तथा विभिन्न जनपदों की पुलिस इकाइयों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया। प्रत्येक उपलब्ध सुराग का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लगातार फील्ड ऑपरेशन संचालित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29 जून 2026 को जनपद सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र स्थित संकटा देवी मंदिर के समीप से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया।

पूछताछ में सामने आए तथ्य

बालिका द्वारा धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दिए गए बयान में बताया गया कि आरोपी ने उसे विवाह का झूठा आश्वासन देकर अपने साथ ले गया। इसके पश्चात वह उसे अपने गांव लेकर गया, जहां उसे अपने परिवार के साथ रखा गया तथा उससे भीख मंगवाई जाती थी। बरामदगी के समय भी बालिका संकटा देवी मंदिर के आसपास भीख मांगने आई हुई थी। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई।

विधिक कार्यवाही

बरामदगी के उपरांत बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, नियमानुसार बयान दर्ज किए गए तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर राजकीय बाल गृह में सुरक्षित आवासित कराया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव, आईपीएस द्वारा बताया गया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) के पास सामान्यतः ऐसे गुमशुदगी के प्रकरण संदर्भित किए जाते हैं, जिनमें बहुआयामी एवं विशेषज्ञ अन्वेषण की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रत्येक मामले में हमारी टीम तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल फुटप्रिंट्स, मानव खुफिया तंत्र (Human Intelligence) तथा अंतरजनपदीय समन्वय का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रत्येक उपलब्ध सुराग पर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से कार्य करती है। हमारा उद्देश्य केवल गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुँचाना तथा यदि किसी प्रकार का अपराध घटित हुआ हो तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाना भी है।

वर्तमान प्रकरण में भी टीम के निरंतर एवं समन्वित प्रयासों से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा अब तक कुल 10 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है, जिनमें से 02 बच्चों की बरामदगी गत माह की गई थी। प्रत्येक बच्चे की सुरक्षित घर वापसी लखनऊ पुलिस की संवेदनशीलता, पेशेवर दक्षता एवं जनविश्वास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भविष्य में भी मानव तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों के विरुद्ध इसी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

बरामदगी

- नाबालिग बालिका (उम्र लगभग 16 वर्ष)
- बरामदगी स्थान – थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सलमान पुत्र हरीशन, निवासी बसंतपुर, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी

विशेष उल्लेख

वर्ष 2026 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अब तक कुल 10 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है। यह उपलब्धि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति लखनऊ पुलिस की सतत प्रतिबद्धता, प्रभावी समन्वय एवं वैज्ञानिक अन्वेषण प्रणाली को दर्शाती है।

जारीकर्ता
अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1119

दिनांक-05.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 360/2026**, धारा **69/351(3) बीएनएस** से संबंधित अभियुक्त **ऋषि वर्मा पुत्र लवलेश कुमार, निवासी बीबीपुर, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 19 वर्ष** को आज दिनांक **05.07.2026** को थाना चिनहट कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

दिनांक **04.07.2026** को वादिनी द्वारा थाना चिनहट पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिनहट पर **मु0अ0सं0 360/2026**, धारा **69/351(3) बीएनएस** बनाम अभियुक्त ऋषि वर्मा पुत्र लवलेश कुमार निवासी बीबीपुर थाना जैदपुर जिला बाराबंकी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की विवेचना उ0नि0 **विवेक मिश्रा** द्वारा की जा रही है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक चिनहट द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवही करते हुए नामजद अभियुक्त **ऋषि वर्मा** को दिनांक **05.07.2026** को थाना चिनहट कार्यालय से गिरफ्तार कर अग्रिम नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.ऋषि वर्मा पुत्र लवलेश कुमार निवासी बीबीपुर थाना जैदपुर जिला बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष

04पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01 मु0अ0सं0 360/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

05- ऋषि वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01.उ0नि0 विवेक मिश्रा थाना चिनहट जनपद लखनऊ

02.का0 देवशरण भारती थाना चिनहट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1120
दिनांक-05.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

पत्रकारपुरम स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट पर फायरिंग एवं मारपीट की घटना में वांछित, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **घटना में तीन अभियोग पंजीकृत, विवेचना के दौरान 3(5) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट की बढ़ोत्तरी।**
- **पूर्व में 04 अभियुक्तों को जेल भेजने के बाद अब पांचवां अभियुक्त भी पुलिस की गिरफ्त में।**
- **शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं तलाश जारी।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **28.06.2026** को थाना गोमतीनगर क्षेत्रान्तर्गत पत्रकारपुरम स्थित **मनीष ईटिंग प्वाइंट** पर दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट एवं फायरिंग की घटना में परिवर्तित हो गया। घटना में होटल कर्मचारी **अखिलेश कुमार** को गोली लगने से गंभीर चोट आई।

घटना के संबंध में दिनांक 29.06.2026 को थाना गोमतीनगर पर निम्न तीन अभियोग पंजीकृत किए गए—

1. **मु0अ0सं0 269/2026** – वादी **अंकित सिंह** की तहरीर पर, जिसमें पिस्टल एवं चाकू से हमला, फायरिंग, कर्मचारी को गोली लगना, आवास पर हमला, वाहन में फायरिंग, पड़ोसी के वाहन में तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. **मु0अ0सं0 270/2026** – वादी **मनीष गौर** (स्वामी, मनीष ईटिंग प्वाइंट) की तहरीर पर, जिसमें वादी एवं कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग, कर्मचारी को गोली लगना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. **मु0अ0सं0 271/2026** – वादी **संतोष सिंह** की तहरीर पर, जिसमें आवास पर फायरिंग, वाहन संख्या **UP32NC-0111** को क्षतिग्रस्त करना, पड़ोसी के वाहन में तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते दिनांक 28.06.2026 को सायं लगभग 08:30 बजे विनयखण्ड स्थित मनीष ईटिंग प्वाइंट के पास अभियुक्त प्रणव शुक्ला अपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर सड़क पर सरेआम वादी मुकदमा मनीष गौर एवं उनके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अभियुक्त प्रणव शुक्ला के साथियों द्वारा अवैध पिस्टल से जान से मारने की नियत से होटल कर्मी अखिलेश कुमार पर फायर किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के उपरांत अभियुक्तगण द्वारा मु0अ0सं0 269/2026 के वादी अंकित सिंह के मकान संख्या E-4/802 पर पहुंचकर भी अवैध पिस्टल से जान से मारने की नियत से हमला किया गया। **तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त प्रणव शुक्ला को मौके से गिरफ्तार किया गया था।**

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर उक्त मुकदमों में धारा **3(5) बीएनएस** एवं **7 सीएलए एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। इसके क्रम में दिनांक 29.06.2026 को अभियुक्त प्रणव शुक्ला तथा दिनांक 30.06.2026 को अभियुक्त **अभय प्रताप सिंह, विष्णु स्वरूप द्विवेदी** एवं **सार्थक कपूर** को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में दिनांक 04.07.2026 को फरार/वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा स्टेशन रोड से शहीद पथ अंडरपास के नीचे से प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त **संदीप दूबे पुत्र राजेन्द्र दूबे**, मूल निवासी मोहल्ला इन्द्रानगर, थाना नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर, हाल पता किराये का मकान, बाबा हॉस्पिटल के निकट, मटियारी, थाना चिनहट, लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है तथा उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 269/2026 धारा -191(2)/191(3) /109/ 115(2)/ 131/ 324(4) /352/ 351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।

2-मु0अ0सं0 270/2026 धारा -191(2)/191(3)/190 /115(2)/131/109(1)/351(3) बीएनएस बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-संदीप दूबे पुत्र राजेन्द्र दूबे मूल निवासी- मोहल्ला इन्दिरानगर थाना नौगढ जनपद सिद्धार्थ नगर हालपता-किराये का मकान, बाबा हास्पिटल के निकट माटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ

1- प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी
2- उ0नि0 श्री पंकज कुमार राय
3- उ0नि0 श्री अरविन्द राय परिहार,
4- का0 बब्बन यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1118
दिनांक-05.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण-

पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री अमित कुमार आनन्द** के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त **श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार**, सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज **श्री राजेश कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज **श्री राम बाबू सिंह** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया।

दिनांक **04.07.2026** को वादिनी द्वारा थाना मोहनलालगंज पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि लगभग एक वर्ष पूर्व अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध स्थापित किए, मंदिर में कथित रूप से विवाह किया तथा कई बार शारीरिक संबंध बनाए। वादिनी के अनुसार गर्भवती होने पर अभियुक्त ने धोखे से गर्भपात की दवा खिलवा दी। बाद में विवाह की बात करने पर अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा दहेज की मांग की गई तथा मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

02-कार्यवाही का विवरण

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर **मु0अ0सं0 246/2026** धारा **69, 89, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का नियमानुसार बयान अंकित किया गया तथा अन्य साक्ष्यों के संकलन के उपरांत आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आज दिनांक **05.07.2026** को अभियुक्त को **फुलवरिया मोड़, रायबरेली रोड, थाना मोहनलालगंज क्षेत्र** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-मनीष कुमार पुत्र ब्रजलाल नि0-भावाखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 21 वर्ष। **(प्राइवेट बस में कंडक्टर।)**

04- पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 246/2026, धारा 69/89/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना मोहनलालगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

05- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 निमेष दुबे
2. का0 दिनेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1122
दिनांक 05.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन।**
- **मुस्लिमनगर वार्ड में महिलाओं एवं किशोरियों को महिला सुरक्षा, अधिकार एवं हेल्पलाइन सेवाओं के प्रति किया गया जागरूक।**
- **साइबर अपराधों से बचाव एवं ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देकर किया गया जागरूक।**
- **महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं सरकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी।**
- **मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता से संबंधित पम्पलेट वितरित कर आमजन को किया गया जागरूक।**

01- संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक **05.07.2026** को थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा **मिशन शक्ति फेज-5.0** के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान तथा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन एवं उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देशों के क्रम में थाना क्षेत्र के **मुस्लिमनगर वार्ड** में **बहू-बेटी सम्मेलन** का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं किशोरियों को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम, कानूनी अधिकारों तथा आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर **1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (वीमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1930 (साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा)** तथा **108 (एम्बुलेंस सेवा)** के उपयोग एवं महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वर्तमान समय में बढ़ रहे **साइबर अपराधों** के विभिन्न तरीकों से अवगत कराते हुए ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल **1930** पर शिकायत दर्ज कराने एवं साइबर पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया गया।

जनजागरूकता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपस्थित महिलाओं एवं किशोरियों को **मिशन शक्ति** एवं **साइबर सुरक्षा जागरूकता** संबंधी पम्पलेट वितरित किए गए तथा उन्हें अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से **मिशन शक्ति अभियान** के अंतर्गत इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक महिला एवं बालिका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सुरक्षित वातावरण में जीवनयापन कर सके।

02-पुलिस टीम का विवरण थाना जानकीपुरम लखनऊः-

प्र0नि0 श्री विनोद कुमार तिवारी

उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह(मिशन शक्ति प्रभारी)

म0उ0नि0 श्रीमती शिवानी वर्मा

उ0नि0 श्रीविकास सिंह